न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 74/2018

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर। ....प्रार्थी

बनाम

श्री पप्पुलाल सिसोदिया पुत्र श्री धन्नालाल सिसोदिया, झुलेलाल मन्दिर के पीछे रेगर बस्ती अजमेर।

......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार
श्री उत्तम गुरूबक्षानी –अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 23.01.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 26.02.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से गैस रिफलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय जांच दल अप्रार्थी के आवास की जांच करने पर अप्रार्थी के आवास पर 01 गैस रिफिलिंग की इलेक्ट्रिक मशीन रखी पाई गई, जिसके दोनो ओर रबर पाईप व नोजल पांइट लगा पाया गया। इस मशीन के पास ही एक ओर गैस रिफिलिंग करने की जुगाडनुमा मशीन जिसके दोनों ओर पाईप एवं नोजल लगे पाये गये तथा चौक में 01 एल.पी.जी. घरेलू गैस सिलेण्डर व 01 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर 5 किलो जिसकी कम्पनी व एस.आर. नं0 अंकित नहीं पाये गये। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये। अप्रार्थी के आवास पर गैस रिफिलिंग की इलेक्ट्रिक मशीन जिसके दोनो ओर रबर पाईप व नोजल पांइट लगे हुए, एक जुगाडनुमा गैस रिफलिंग मशीन, 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 अप्रमाणित 05 किलो के गैस सिलेण्डर पाये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग की पुष्टि होने पर गैस सिलेण्डर

S.NO	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GA	TYPE
1	130909	BPC	15.8	15.8	Nil	domestic
2.	NIl	Nil	01 छोटा अप्रमाणित सिलेण्डर			

को कब्जेराज लिया गया। गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) 4 (1) (क) का उल्लंघन है। अतः सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर उदय गैस ऐजेन्सी के कार्मिक श्री राजू तम्बोली पुत्र श्री कैलाश तंबोली निवासी गौरी नगर, वैशालीनगर अजमेर को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा 02 गैस रिफलिंग मशीनें, 01 एक घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 छोटा अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पैरोकार सरकार को उनके प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 01 की प्रथम लाईन में सहवन से अंकित दिनांक 12.3.2018 को 26.02.2018 दुरूस्त किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर उक्तानुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया गया। दुरूस्ति का लाल स्याही से अंकन किया गया। अप्रार्थी ने जरिये अभिभाषक जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 26.02.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी के आवास पर गैस रिफिलिंग की इलेक्ट्रिक मशीन जिसके दोनो ओर रबर पाईप व नोजल पांइट लगे हुए, एक जुगाडनुमा गैस रिफलिंग मशीन, 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 अप्रमाणित 05 किलो के गैस सिलेण्डर का पाया जाना घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग की पुष्टि करता है। बिना वैध दस्तावेज के गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) 4 (1) (क) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 02 गैस रिफलिंग मशीनें, 01 एक घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 छोटा अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण झूठा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत् अप्रार्थी द्वारा कोई अविधिक कृत्य कारित नही किया गया है। गैस सिलेण्डर बिल्कुल खाली था जिसे भराने जा रहे थे। सिलेण्डर दिनांक 26.02.2018 को जप्त किया जबकि मुकदमा 16 दिन बाद में दर्ज किया है। वक्त जांच रिफलिंग मशीन सिलेण्डर से जुडी हुई नहीं पाई गई, इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध कोई मामला नहीं बनता है। अप्रार्थी के विरूद्ध सम्पादित की गई सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से दर्ज प्रकरण को खारिज किया जाकर जब्तशुदा गैस सिलेण्डर लौटाये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र तथ्यों का खण्डन करते। वक्त जांच अप्रार्थी के आवास पर बिना वैध दस्तावेज के 02 गैस रिफलिंग मशीनें, 01 एक घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 छोटा अप्रमाणित गैस सिलेण्डर पाये गये है जो घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक दुरूपयोग की पुष्टि करता है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज ली गई 02 गैस रिफलिंग मशीनें, 01 एक घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 छोटा अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को सम्बन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner